GCMS- 2025/140

किस्म मुकदमाः– :– धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
नम्बरः– 05/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्यामलाल बनाम लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर फलौदी)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/01/2025	अपीलार्थी श्यामलाल पुत्र मालाराम ग्राम ढढू, तहसील फलौदी, जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 08.08.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय में तहसीलदार फलौदी के संबध में प्रस्तुत शिकायत व जांच रिपोर्ट के संबध में सूचना चाही गई है। उक्त सूचना के संबध में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपीलांट को अवगत जरिये पत्र क्रमांक–संस्थापन/आर.टी.आई'/2024/1751 दिनांक 17.09.2024 को अवगत कराया गया है कि शिकायत के संबध में अभी जांच/अनुसंधान विचाराधीन है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 08 के तहत अनुसंधान लंबित रहने व प्रभावित होने की आंशका के मध्येनजर उक्त सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। प्रकरण में सूचना आवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चार बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। इसमें बिन्दु संख्या 01 में 17.06. 2022 से 18.08.2022 तक जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार फलौदी को भेजे गये सम्मनों की प्रमाणित प्रति चाही गई है। उक्त बिन्दुओं में प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का स्पष्ट विवरण न देकर एक समयावधि में मांगी गई है। अपील में चाही गई सूचना अनिश्चित प्रकृति की है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 4 में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार हुक्मीचंद के खिलाफ जिला कलक्टर कार्यालय में शिकायत में कितने परिवाद प्राप्त हुए की सूचना चाही गई है। उक्त सूचना भी प्रश्नगत प्रकृति की है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय में संधारित सूचना ही देय है। पृथक से सूचना सृजित कर उपलब्ध कराना आपेक्षित नहीं है। अतः इस बाबत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। जहां तक बिन्दु संख्या 02 व 03 का प्रश्न है। प्रार्थी द्वारा आवेदित सूचना का लघु विवरण दिया गया है। अतः इस संबध में सम्बधित लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में उपलब्ध सूचना आगामी 21 दिन उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करावें एंव रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। अतः अपील इस स्टेज पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

जिला कलक्टर
फलौदी